छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 09–22/2017/1–5, नया रायपुर, दिनांक 09 मई, 2017

प्रति,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)**
   छत्तीसगढ़ शासन,
   मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)
2. **समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़**

विषयः– समीक्षा बैठकों में लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही बाबत्।

––00––

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रशासकीय विभागों की समीक्षा बैठक ली जाती है। समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा बताई गई स्थिति के संबंध में कार्यवाही हेतु निर्देश दिए जाते हैं। ये निर्देश मार्गदर्शी प्रकृति के होते हैं, इन निर्देशों का क्रियान्वयन विभागीय सचिव द्वारा प्रचलित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम–12 अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराया जाना भारसाधक सचिवों की जिम्मेदारी होती हैं।

2. विभागीय समीक्षा बैठक में यदि कोई निर्देश दिए जाते है तो उसका क्रियान्वयन के पूर्व नियमानुसार वित्त, सामान्य प्रशासन तथा विधि विभाग से अभिमत/स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत समन्वय अथवा मंत्रि–परिषद से आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो, तद्नुसार आदेश प्राप्त करने के पश्चात् ही आदेश जारी किए जाने चाहिए जैसे कि :–

1. पदों का निर्माण/स्वीकृति।
2. रिक्त पदों पर भर्ती।
3. भर्ती नियमों में संशोधन।
4. अधिकारियों/कर्मचारियों का नियमितिकरण।
5. वित्तीय भार वाले मामले।
6. क्रय से संबंधित मामले।

3. अतः ऐसे सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम–12 में अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात् ही आदेश जारी किए जाएं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

9/5/17

(आर.पी.राठिया)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः....2

H/Pathak/

पृष्ठां. क्रं. एफ 09–22/2017/1–5, नया रायपुर, दिनांक 09 मई, 2017

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्रीजी के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर
2. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

/

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

H/Pathak/